न्यायालय, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, खानपुर, झालावाड (राज.)
पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती अंजू कुमारी, *R.J.S.*
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्याः– 556/2016 (CIS No.:– 1112/2016)
CNR No.:– RJJW110008152016

राजस्थान राज्य .....**अभियोगी**

ब ना म

मुकेश आत्मज रामप्रताप, उम्र 41 वर्ष, निवासी– गाडरवाडा नूरजी, पुलिस थाना सारोलाकलां, जिला झालावाड़ (राज.)

.....**अभियुक्त**

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः– 187/2016 पुलिस थाना सारोलाकलां, जिला झालावाड़ (राज.)
अपराध अंतर्गत धारा 354(क) भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितः–

1. राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी।
2. श्री रघुनंदन सिंह, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

निर्णय **दिनांकः– 11–03–2026**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 24–08–2016 को परिवादिया निर्मला पत्नी त्रिलोक ने एसपी ऑफिस झालावाड में एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया का विवाह ग्राम गाडरवाडा नूरजी में मुलजिम राकेश पुत्र रामप्रताप के छोटे भाई त्रिलोक से हुआ था। प्रार्थीया ग्राम गाडरवाडा में मुलजिम मुकेश, सास आदि के साथ एक ही मकान में निवास करते है। मुलजिम का रवैया प्रार्थीया की शादी के लगभग 3–4 माह बाद से ही गलत रहा है। प्रार्थीया के ससुराल वाले खेती बाडी वाले व्यक्ति है। अक्सर खेत पर जाकर काम करते है। प्रार्थीया को प्रार्थीया के ससुराल वाले घर पर ही घर का कार्य करने हेतु छोडकर खेत पर चले जाते है। मुलजिम मुकेश की नियत प्रार्थीया के ऊपर गलत रूप से बनी रहती है। मुलजिम आये दिन प्रार्थीया के सुसराल के सभी सदस्य खेत पर काम करने जाने के पश्चात मौका देखकर मुलजिम घर पर आकर प्रार्थीया को अश्लील निगाह एवं अश्लील हरकत करता रहता है। प्रार्थीया दिनांक 27–03–2016 को अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी मकान पर मेन दरवाजे पर लगी कुंदी को खोलकर प्रार्थीया को अकेली देखकर प्रार्थीया के कमरे में प्रार्थीया सो रही थी तभी आया और प्रार्थीया के पलंग पर बैठ गया और प्रार्थीया के साथ गलत हरकत करने लगा। प्रार्थीया एकदम घबराकर उठी तो प्रार्थीया ने मुलजिम को प्रार्थीया के पलंग पर बैठा देाा। प्रार्थीया चिल्लाने लगी तो मुलजिम ने प्रार्थीया को जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया और कहा कि परिवार में किसी को बताया तो उसे घर से बाहर निकलवा देगा। उक्त घटना के बारे में प्रार्थीया शाम को उक्त घटना के बारे में बताने के इंतजार में थी, तभी मुलजिम ने प्रार्थीया के पति को प्रार्थीया के विरूद्ध भडकाकर मुलजिम व प्रार्थीया के पति ने प्रार्थीया के साथ गाली गलौच कर चुप कर दिया। उसके पश्चात प्रार्थीया ने दिनांक 10–04–2016 को उक्त घटना के बारे में ग्राम खानपुर में आकर अपने भाई व माँ को बताया। प्रार्थीया का भाई प्रार्थीया को लेकर थाना सारोला में रिपोर्ट दर्ज् कराने गया तो थाना सारोला द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी .....इत्यादि। उक्त परिवाद को पुलिस थाना

सारोलाकलां भेजने पर पुलिस थाना सारोलाकलां, जिला झालावाड़ (राज.) में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 187/2016 अंतर्गत धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध की जाकर बाद तफ्तीश अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 354(क) भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जिस पर बाद अवलोकन अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त मुकेश को अपराध अंतर्गत धारा 354(क) भारतीय दण्ड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोपित अपराध को सुन व समझकर आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड.01 दिनेश, पी.ड.02 कुंजबिहारी, पी.ड.03 निर्मला उर्फ मुन्नीबाला, पी.ड.04 कमलाबाई व पी.ड.05 रणजीत सिंह के बयान लेखबद्ध कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में फर्द नक्शा मौका व निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी–1, एसपी ऑफिस में पेश परिवाद प्रदर्श पी–2, न्यायालय में प्रस्तुत इस्तगासा अंतर्गत धारा 156(3) सीआरपीसी प्रदर्श पी–3, गवाह लिस्ट प्रदर्श पी–4, शपथ पत्र प्रार्थीया प्रदर्श पी–5, मूल बयान अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी गवाह निर्मला उर्फ मुन्नीबाला प्रदर्श पी–6, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–6ए, पुलिस बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी गवाह कमलाबाई प्रदर्श पी–7, चाक एफआईआर प्रदर्श पी–8 व नोटिस अंतर्गत धारा 41 ए सीआरपीसी प्रदर्श पी–9 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है।

4. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात अभियुक्त मुकेश का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होने और गवाहान द्वारा झूंठा अभिवाक करने तथा स्वयं का निर्दोष होकर झूंठा फंसाये जाने का कथन किया। अभियुक्त द्वारा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया।

5. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त मुकेश को दोषसिद्ध घोषित किया जाकर दण्डादिष्ट किया जावे।

6. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाये गये गवाहान की साक्ष्य में विरोधाभास है। चश्मदीद साक्षी गवाह पी.ड.04 कमला बाई न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुयी है। परिवादिया ने अपने मुख्य परीक्षण, परिवाद प्रदर्श पी–2 व बयान अंतर्गत धारा 164 सीआर.पी.सी. प्रदर्श पी–6 में बढा–चढाकर तथ्य अंकित करवाये हैं। परिवादिया ने बढ़ा–चढ़ाकर रिपोर्ट पेश की है। ऐसी स्थिति में अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त मुकेश को आरोपित अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जावे ।

7. बहस उभय पक्षकारान सुनी। तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः–

(1) " क्या दिनांक 27–03–2016 को समय 12.00 बजे के लगभग मौजा गाडरवाडा नूरजी में अभियुक्त ने फरियादिया निर्मला उर्फ मुन्नी बाई की लज्जा भंग करने के आशय से उसके साथ छेडछाड व गलत हरकत की तथा उसका मुंह बंद कर उसे फर्श पर पटककर हमला/आपराधिक बल का प्रयोग कर परिवादिया की लज्जा भंग की ? "

(2) यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड से दण्डनीय है ?

8. अभियुक्त मुकेश के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 05 गवाहों को परीक्षित कराया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य का समग्र विवेचन किया जाये तो अभियोजन पक्ष द्वारा पेश महत्वपूर्ण गवाह पी.ड.03 निर्मला उर्फ मुन्नीबाला, जो प्रकरण में रिपोर्टकर्ता होकर परिवादिया/पीडिता भी है, ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि साल 2015 में उसकी शादी नूरजी गाडरवाडा निवासी त्रिलोक के साथ की थी। शादी के बाद वह उसके ससुराल में रह रही थी। दिनांक 27–03–2016 की बात है। वह घर पर खाना बना रही थी। दिन के बारह बजे करीब की बात थी। खाना बनाने के बाद वह कमरे में आराम कर रही थी। उसने उसके कमरे के दरवाजे बंद कर रखे थे। उसके जेठ मुकेश कमरे का दरवाजा खोलकर उसके कमरे में आया और उसके पलंग पर बैठकर उसके साथ गलत हरकत की और मारने की धमकी दी। उसे घर से निकालने की धमकी दी। उससे कहा कि तुझे यहां रहना है तो उसकी घरवाली बनकर रहना पडेगा। उस समय घर पर वह अकेली ही थी। उसके पति और अन्य घर वाले खेत पर गए हुए थे। फिर शाम को उसके घरवाले आए तो उसने सारी बात उसके पति को बताई। उसके पति ने भी उसके साथ गाली गलौच की। क्योंकि उसने भी उसके जेठ को भडका दिया। उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया तो उसने उसकी काकी सास के यहां जाकर उसने उसके पीहर फोन किया तब उसका भाई दिनेश उसे लेने गया। उसने खानपुर थाने पर कार्यवाही की थी लेकिन वहां सुनवाई नहीं होने पर उसने एसपी साहब को परिवाद पेश किया था। एसपी साहब को पेश परिवाद प्रदर्श पी–2 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसने अदालत में परिवाद पेश किया था जो प्रदर्श पी–3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। गवाह लिस्ट प्रदर्श पी–4 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। शपथ पत्र प्रदर्श पी–5 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके बयान लिए थे। घटनास्थल पर पुलिस गई थी। पुलिस ने घटना का नक्शा मौका बनाया था। फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। झालावाड अदालत में उसके बयान हुए थे। बयान धारा 164 सीआरपीसी प्रदर्श पी–6 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–6 ए है।

9. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि उसकी शादी घटना से एक साल पहले मुलजिम के छोटे भाई त्रिलोक के साथ हुई थी। यह कहना सही है कि इस एक वर्ष में उसका सुसराल से पीहर व पीहर से ससुराल आना जाना रहा। मुलजिम मुकेश शादीशुदा है और उसके बच्चे भी है। उसकी शादी से मुकेश की शादी कितने साल पहले हुई थी उसे जानकारी नहीं है। उस समय मुलजिम के तीन बच्चे थे, कितने साल के थे, उसकी

जानकारी में नहीं है। यह कहना सही है कि उसका जेठ और वह पति–पत्नी एक ही मकान में रहते थे। यह कहना सही है कि खाना भी एक ही रसोई में बनता था। घरवाले सभी खेत का काम करने जाते थे लेकिन वह नहीं जाती थी। यह कहना सही है कि वह दिनांक 27–03–2016 के बाद वह अपने ससुराल नहीं गई। उसने पीहर आने के दिन ही मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। इस घटना के पहले मुलजिम ने कोई गलत हरकत नहीं की। यह कहना सही है कि उसके ससुराल आने के बाद मुलजिम के घरवालों ने उसके घरवालों के खिलाफ मुकदमा सारोला थाना में दर्ज करवाया था। यह कहना सही है कि उसने ससुराल से आने के बाद उसके पति व ससुराल वालों के खिलाफ मारपीट करने, दहेज मांगने का मुकदमा दर्ज करवाया था। यह कहना सही है कि उसके पति त्रिलोक के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराने के बाद उसने उसके जेठ मुकेश के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया था। यह कहना सही है कि वह घटना के बाद काकी सास के घर पर गई थी। यह कहना सही है कि उसने उसकी काकी सास को घटना के बारे में नहीं बताया हो। यह कहना सही है कि उसके पति ने घटना वाले दिन उसके साथ मारपीट की और उसके बाद उसने अपनी काकी सास के मकान से अपने भाई को फोन किया और उसका भाई उसे लेने आ गए। यह कहना गलत है कि उसके भाई व उसके जीजाजी ने मुकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का दवाब बनाया हो। यह कहना सही है कि घटना वाले दिन के बाद से ही वह अपने ससुराल नहीं गई हो। यह कहना सही है कि उसने उस दिन उसके पति व जेठ दोनों के मारपीट करने वाली बात उसके भाई को बतायी हो। यह कहना गलत है कि उसने उसके भाई को उसके जेठ द्वारा उससे गलत हरकत करने वाली बात नहीं बताई हो। यह कहना सही है कि वह पुलिस के साथ अपने ससुराल घटनास्थल पर नहीं गई। यह कहना गलत है कि उसने वक्त घटना अपने कमरे की कुंदी लगा रखी हो। मकान के मेन गेट की कुंदी अंदर से लगा रखी थी लेकिन कुंदी बाहर से खुल जाती है। यह कहना गलत है कि उसने अपने घरवालों के दवाब में आकर मुलजिम के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया हो। यह कहना सही है कि दिनेश उसका भाई है और कुंजबिहारी उसका नजदीकी रिश्तेदार है। यह कहना सही है कि उसने कुंजबिहारी को घटना के बारे में नहीं बताया लेकिन उसने उसे नहीं बताया। यह कहना सही है कि उसका ससुराल वाला मकान गांव के बीच में है। यह कहना सही है कि आस पास के सभी मकानों में कुंवारी लडकियां और शादीशुदा महिलाएं रहती है। यह कहना सही है कि घटना वाले दिन के पूर्व मुलजिम ने उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं की। यह कहना सही है कि घटना से पहले मुलजिम भी उसके साथ गलत नजर रखता था और इसके बारे में उसने अपने पीहर वालों को नहीं बताया था।

10. गवाह पी.ड.05 रणजीत सिंह, जो कि हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है, ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 07–09–2016 को थाना सारोलाकलां पर एएसआई के पद पर तैनात था। उस दिन न्यायालय से 156(3) सी.आर.पी.सी. के तहत इस्तगासा न्यायालय से प्राप्त हुआ था। उस दिन इंचार्ज थाना वह ही था। इस्तगासा पर मु.न. 187/2016 धारा 354 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया। दौराने अनुसंधान बयान फरियादिया निर्मला उर्फ मुन्नी बाई, गवाह दिनेश, कमला बाई के उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये। दौराने अनुसंधान फरियादी की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया। पीडिता के बयान धारा 164 सीआरपीसी के न्यायालय में करववाये

गये जो शामिल पत्रावली किये गये। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–8 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एसपी ऑफिस को प्रेषित परिवाद प्रदर्श पी–2 है जिसकी पुश्त पर कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन है एवं सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम को अंतर्गत धारा 41 ए सीआरपीसी का दिया गया नोटिस प्रदर्श पी–9 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर है। अनुसंधान से मुलजिम मुकेश के विरूद्ध धारा 354 क आईपीसी में जुर्म प्रमाणित मानकर पत्रावली थानाधिकारी महोदय को सुपुर्द की। जिन्होंने चार्जशीट कताकर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया।

11. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि यह मुकदमा न्यायालय से प्राप्त इस्तगासे पर दर्ज हुआ है। यह कहना सही है कि थाने पर न्यायालय से प्राप्त इस्तगासे से पूर्व फरियादिया ने उसे थाने पर कोई परिवाद पेश नहीं किया। यह कहना गलत है कि मुलजिम मुकेश या उसके घरवालों ने इस घटना से पहले निर्मला के पहले कोई मुकदमा दर्ज करवाया हो। यह कहना सही है कि फरियादिया मुलजिम के भाई की बहू है। यह कहना सही है कि फरियादिया व मुलजिम परिवार सहित नक्शा मौका में जो मकान अंकित किया है उसी मकान में निवास करते हैं। यह कहना सही है कि इस मकान में फरियादिया के सास ससुर, जेठ जेठानी व पति आदि सभी साथ रहते हैं। यह कहना गलत है कि उसके अनुसंधान में दोनों पति–पत्नी के बीच कोई झगडे की बात हो। यह उसे जानकारी नहीं है कि फरियादिया ने उसके मुलजिम के भाई के विरूद्ध भी खानपुर थाने में करवा रखा हो। उसने दो गवाह के बयान थाने पर व शेष के खानपुर आकर लिये थे। यह कहना सही है कि उसने फरियादिया के सास–ससुर व आस–पास के अन्य लोगों के बयान पत्रावली में कोई बयान नहीं लिये।

12. गवाह पी.ड.01 दिनेश, जो कि परिवादिया का भाई है, ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि निर्मला उसकी बहिन हैं। जिसकी शादी करीब नौ साल पहले त्रिलोक निवासी नूरजी गाडरवाडा के साथ की थी। उसकी बहिन निर्मला ने घर पर फोन किया और बताया कि उसका जेठ मुकेश उसे बुरी नजर से देखता है। जिस पर वह उसे लेने के लिए उसके ससुराल गाडरवाडा नूरजी गया तो वहां उसकी बहिन ने उसे बताया कि उसका जेठ मुकेश उसे गलत नजरों से देखता है और जब कोई नहीं रहता तो उसके साथ गलत हरकत करता है। घटनास्थल पर पुलिस गई थी। घटना का मौका मुआयना किया था। फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

13. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि निर्मला का विवाह त्रिलोक के साथ हुआ था। शादी के बाद निर्मला उसके ससुराल में तीन चार बार गई थी। हर बार वह ही उसे लेने उसके ससुराल जाता था। यह कहना गलत है कि जब वह उसे आखिरी बार लेने गया तब त्रिलोक व उसकी बहिन निर्मला के बीच झगडा चल रहा हो। यह कहना सही है कि वह उसी दिन निर्मला को राजीखुशी उसके साथ लेकर आया था।

14. गवाह पी.ड.04 कमला बाई, जो कि परिवादिया की माता है, ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि उसकी लडकी निर्मलाबाई की शादी आज से करीब नौ साल पहले त्रिलोक निवासी गाडरवाडा नूरजी के साथ की थी। शादी के समय ही आती–जाती कर दी थी और ससुराल में रह रही थी। शादी से करीब तीन चार महीने बाद की बात है कि उसकी लडकी ने फोन कर कहा कि त्रिलोक उससे मारपीट कर रहा है और उसे लेने भेज दो इसके अलावा और कुछ नहीं बताया। इस पर उसने अपने लडके दिनेश को उसे लेने के लिए भेज दिया। इस पर उसका लडका निर्मला को लेकर आ गया जब से ही निर्मला उनके पास ही रहती है। उक्त गवाह न्यायालय में पक्षद्रोही घोषित हुयी है तथा दौराने जिरह सहायक अभियोजन अधिकारी गवाह ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि उसकी लडकी निर्मला ने उसे बताया की उसका जेठ मुकेश उसके साथ गलत हरकत करता है अज खुद कहा कि उसकी भाभी को बताया होगा। यह कहना गलत है कि पुलिस ने उसके बयान लिए हो, पुलिस बयान प्रदर्श पी–9 का ए से बी भाग पढा गया गवाह ने सुना जानकारी के अभाव में गलत होना बताया। यह कहना गलत है कि वह मुलजिम को बचाने के लिए झूठे बयान दे रही हो।

15. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा का अवसर दिये जाने के पश्चात भी इस गवाह से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

16. गवाह पी.ड.02 कुंजबहारी ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि करीब आठ नौ साल पहले की बात है। उनके गांव में पुलिस आयी थी। पुलिस ने उसके सामने रामप्रताप जी के घर के यहां पर नक्शा मौका बनाया। फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

17. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि वह त्रिलोक के घर के पास ही रहता है। घटना से पहले उसके त्रिलोक से बोलचाल थी पर घटना के बाद उन्होंने उससे बोलना बंद कर दिया। मुलजिम और परिवादी दोनों उसके रिश्तेदार है। दिनांक 07–09–2016 को पुलिस उनके गांव में आई होगी उसे पूरी तरह से याद नहीं है। उसके सामने पुलिस आई होगी। त्रिलोक ने निर्मला व उसके परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था जिसकी उसे जानकारी है। त्रिलोक ने रिपोर्ट कराई तब पुलिस आई हो तो उसे जानकारी नहीं है। घटना के वक्त गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। मौका देखने पुलिस ही मकान के अंदर गई थी। वह तो बाहर ही खडा था। प्रदर्श पी–1 पर उसके हस्ताक्षर आम रास्ते पर ही बाहर करवाए थे। पुलिस ने समझाकर हस्ताक्षर नहीं करवाए थे।

18. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का भार था कि दिनांक 27–03–2016 को समय दोपहर 12.00 बजे मौजा गाडरवाडा नूरजी में अभियुक्त ने फरियादिया निर्मला उर्फ मुन्नी बाई की लज्जा भंग करने के आशय से उसके साथ छेडछाड व गलत हरकत की तथा उसका मुंह बंद कर उसे फर्श पर पटककर हमला/आपराधिक बल का प्रयोग कर परिवादिया की लज्जा भंग की।

19. उक्त आरोप के संबंध में परिवादिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद पुलिस अधीक्षक झालावाड प्रदर्श पी–2 का अवलोकन किया जाये तो परिवादिया ने दिनांक 27–03–2016 को अपना कमरे में आराम कर रहे होने तथा मेन दरवाजे पर लगी कुंदी को खोलकर अभियुक्त का प्रार्थीया के कमरे में आ जाना व प्रार्थीया के साथ गलत हरकतें करने पर प्रार्थीया का घबराकर उठ जाने व अभियुक्त का प्रार्थीया के पलंग पर बैठा होने पर प्रार्थीया के चिल्लाने से उसे जाने से मारने की धमकी देकर चुप कराने व परिवार में किसी को भी बताने पर घर से बाहर निकलवा देने की धमकी देने व प्रार्थीया द्वारा उक्त घटना के बारे में अपने पति को बताने पर उसके पति के द्वारा प्रार्थीया के साथ गाली गलौच कर उसे चुप करा देने व उसके पश्चात प्रार्थीया के द्वारा दिनांक 10–04–2016 को उक्त घटना के बारे में ग्राम खानपुर में आकर अपने भाई व अपनी मां को घटना की जानकारी दिया जाना अंकित कराया है। उक्त परिवाद के संबंध में पत्रावली पर आयी साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो परिवादिया ने अपने परिवाद में मेन दरवाजे पर लगी कुंदी को खोलकर अभियुक्त का उसके कमरे में आना अंकित कराया है वहीं अपने बयानों में प्रार्थीया ने अधिवक्ता अभियुक्त के द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में यह कहना सही बताया है कि मकान के मेन गेट की कुंदी अंदर से लग रही थी लेकिन कुंदी बाहर से खुल जाती है। उक्त के संबंध में अनुसंधान अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं है कि प्रार्थीया के सुसराल में बने मकान के मेन गेट की कुंदी यदि अंदर से लगी हुयी हो तो वह बाहर से भी खोलने से खुल जाती हो। इसके अतिरिक्त प्रार्थीया ने अपने न्यायालय में हुये बयानों में यह साक्ष्य दी है कि उसके पति ने उसे निकाल दिया तो उसने उसकी काकी सास के यहां जाकर उसके पीहर फोन किया तब उसका भाई दिनेश उसे लेने आया। वहीं इससे विपरीत प्रार्थीया ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 में दिनांक 10–04–2016 को अपने गांव खानपुर में आकर अपने भाई व अपनी मां को घटना की जानकारी देना बताया है। परिवादिया ने पुलिस अधीक्षक महोदय झालावाड को दिये गये परिवाद में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया है कि प्रार्थीया का पति व अभियुक्त ने प्रार्थीया के साथ गाली गलौच कर उससे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया हो। इसके अतिरिक्त प्रार्थीया ने अपने परिवाद में यह भी अंकित नहीं किया है कि दिनांक 27–03–2016 को अभियुक्त व अभियुक्त के भाई द्वारा प्रार्थीया को घर से बाहर निकाल देने के बाद वह उसकी काकी के घर गयी हो जहां से उसने अपने पीहर फोन कर अपनी मां व भाई को घटना की जानकारी दी हो। इस प्रकार प्रार्थीया ने अपने परिवाद से भिन्न व बढा–चढाकर तथ्य न्यायालय में हुये अपने बयानों में अंकित किये हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थीया ने अपने परिवाद में यह अंकित किया है कि अभियुक्त मुकेश उसके ऊपर गलत रूप से नियत बनाकर रखता था इसके विपरीत भी परिवादिया ने अपने प्रतिपरीक्षण में अधिवक्ता अभियुक्त के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि इस घटना से पहले मुलजिम ने कोई गलत हरकत नहीं की है। इस प्रकार प्रार्थीया इस संबंध में भी विरोधाभासी साक्ष्य देती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीया ने उसकी काकी जिसके घर वह घटना के बाद जाना बताती है, को भी न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित नहीं कराया है। प्रार्थीया अपने परिवाद में दिनांक 10–04–2016 को उक्त घटना के बारे में अपने गांव खानपुर आकर अपनी मां और भाई को घटना की जानकारी देने व प्रार्थीया के भाई को लेकर थाना सारोला में रिपोर्ट दर्ज कराने जाने का कथन करती है। जबकि अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में प्रार्थीया ने यह साक्ष्य दी है कि यह कहना सही है कि वह घटना

दिनांक 27–03–2016 के बाद अपने ससुराल नहीं गयी। इसके अतिरिक्त प्रार्थीया ने यह भी साक्ष्य दी है कि उसने पीहर आने के दिन ही मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था, परंतु पत्रावली पर मौजूद परिवाद जो पुलिस अधीक्षक महोदय झालावाड को प्रस्तुत किया गया है वह दिनांक 24–08–2016 को पेश किया जाना दर्शित होता है। जबकि प्रार्थीया उक्त घटना दिनांक 27–03–2016 की होना बताती है। प्रार्थीया ने इतने लंबे अंतराल में अभियुक्त के विरूद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की, इस संबंध में कोई तथ्य या स्पष्टीकरण अंकित नहीं है। हस्तगत परिवाद घटना के करीब 5 महीने पश्चात दर्ज करवाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीया दिनांक 27–03–2016 की घटना के संबंध में दिनांक 10–04–2016 को अपने घर जाकर घटना के बारे में अपने भाई व मां को सूचना देना बताती है। जिसके संबंध में कमला बाई पी.ड.04 जो की प्रार्थीया की माता है, कि साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दी है कि शादी के करीब तीन महीने बाद की बात है उसकी लडकी ने फोन कर कहां कि त्रिलोक उससे मारपीट कर रहा है और उसे लेने भेज दो। इसके अलावा और कोई बात नहीं बतायी तथा सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में सहायक अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को गलत बताया है कि उसकी लडकी निर्मला ने उसे बताया हो कि उसका जेठ मुकेश उसके साथ गलत हरकत करता हो। इस प्रकार स्वयं प्रार्थीया की मां ने प्रार्थीया द्वारा दिये गये बयानों की ताईद नहीं की है तथा पुलिस बयान प्रदर्श पी–7 का ए से बी भाग जानकारी के अभाव में गलत होना बताया है। गवाह पी.ड.01 जो कि प्रार्थीया का भाई है, ने अधिवक्ता अभियुक्त ने इस सुझाव को सही बताया है कि वह उस दिन निर्मला को राजीखुशी उसके साथ लेकर गया था। इस गवाह ने प्रार्थीया द्वारा उसे फोन कर उसके जेठ मुकेश द्वारा उसके बुरी नजर से देखने की जानकारी देने पर उसे उसके ससुराल गाडरवाडा नूरजी लेने जाने की साक्ष्य दी है। परंतु घटना दिनांक 27–03–2016 के बारे में कोई कथन नहीं किया है कि वह उसी घटना के संबंध में उसकी बहन के ससुराल गया था वहीं प्रतिपरीक्षा में उसी दिन निर्मला को राजीखुशी उसके साथ लेकर आना बताया है। जबकि एक तरफ प्रार्थीया अभियुक्त व प्रार्थीया के पति द्वारा उसके साथ गाली गलौच कर मारपीट कर उसे घर से बाहर निकालने का तथ्य अंकित कराती है। इस प्रकार प्रार्थीया व अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कराये गये गवाहान की साक्ष्य में विरोधाभास प्रतीत होता है। स्वयं अभियोजन की ओर से परिक्षित हुये गवाहान ने परिवाद प्रदर्श पी–2 की ताईद नहीं की है।

20. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि परिवादिया के खिलाफ अभियुक्त के परिवार ने उसके खिलाफ सारोला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था जिस कारण से प्रार्थीया ने झूठी रिपोर्ट दर्ज करवायी है जिसके संबंध में प्रार्थीया ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसके ससुराल आने के बाद मुलजिम के घरवालों ने उसके घरवालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, उसके पति त्रिलोक के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराने के बाद उसने उसके जेठ मुकेश के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया था जिसके संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत परिवाद की फोटोप्रति पेश की है जिससे भी यह दर्शित होता है कि परिवादिया द्वारा अभियुक्तगण के परिवार द्वारा उसके विरूद्ध कार्यवाही करने के पश्चात हस्तगत कार्यवाही की गयी है, जिससे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत

की गयी कहानी की ताईद नहीं हो पायी है। परिवादिया ने परिवाद घटना घटित होने से पांच महीने बाद दर्ज करवाया है जिससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि यदि अभियुक्त परिवादिया को लंबे समय से परेशान कर रहा था तो भी उसके बाद परिवादिया ने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की व परिवादिया ने हस्तगत घटना के बाद भी पांच महीने तक क्यों कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार परिवादिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद की ताईद अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गयी साक्ष्य से नहीं हो पायी है। परिवादिया ने अपने बयान अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी में उसके जेठ मुकेश के द्वारा उसके कमरे में आकर उसके साथ छेडछाड करने लगने तथा जबरदस्ती गलत हरकते करना तथा उसके चिल्लाने पर उसका हाथ से मुंह बंद कर देने तथा उसे फर्श पर पटक देने की साक्ष्य दी है। जबकि परिवादिया ने अपने न्यायालय में हुये बयानों में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया है। जिससे भी प्रार्थीया द्वारा विरोधाभासी साक्ष्य देना प्रतीत होता है।

21. अभियोजन साक्ष्य द्वारा पेश समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के उपरोक्तानुसार समग्र विवेचन व विश्लेषण से अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 27–03–2016 को समय दोपहर 12.00 बजे मौजा गाडरवाडा नूरजी में अभियुक्त ने फरियादिया निर्मला उर्फ मुन्नी बाई की लज्जा भंग करने के आशय से उसके साथ छेडछाड व गलत हरकत की तथा उसका मुंह बंद कर उसे फर्श पर पटककर हमला/आपराधिक बल का प्रयोग कर परिवादिया की लज्जा भंग की, इस प्रकार अभियुक्त मुकेश को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 354(क) भारतीय दण्ड संहिता से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

22. अतः अभियुक्त मुकेश आत्मज रामप्रताप, उम्र 41 वर्ष, निवासी– गाडरवाडा नूरजी, पुलिस थाना सारोलाकलां, जिला झालावाड़ (राज.) को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 354(क) भारतीय दण्ड संहिता से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

23. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् जमानत–मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह धारा 437ए दण्ड प्रकिया संहिता के तहत 10,000/– रुपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका इस आशय का पेश कर तस्दीक करावे कि वह अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित हो जावेगा।

24. **<u>धारा 357–A सीआर.पी.सी. के तहत प्रतिकरः–</u>** पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में परिवादिया को धारा 357–A सीआर.पी.सी के तहत प्रतिकर दिलाये जाने बाबत अनुशंषा करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रकरण मे उक्त धारा के अधीन प्रतिकर बाबत अनुशंषा नहीं की जा रही है।

(अंजू कुमारी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

25. निर्णय आज दिनांक 11–03–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(अंजू कुमारी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

<u>प्रमाण पत्र</u>

निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

MANSI SONI
Steno Gr.III
"Authenticate Document"
Digitally signed by MANSI SONI
Date: 2026.03.12 14:47:23 +0530

नोटः– यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।